"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 42 / 2023(2023 / 136)

1. कालू पुत्र गंगाराम
2. जमनी पत्नि गंगाराम
3. झमकू पुत्री काना
4. पूजा पुत्री गंगाराम
5. संतरा पुत्र गंगाराम
6. सीता पुत्री काना
7. हगामी पुत्री काना

समस्त जाति बैरवा निवासीगण कालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकड़ी जिला अजमेर

----प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

---- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 भू. राज. अधिनियम

आदेश

दिनांकः—15.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कालेडा कृष्णगोपाल में पेश पेश हुई। प्रार्थीगण ारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत संक्षेप में प्रकरण के थ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की निम्न आराजीयात वाके ग्राम ालेडा कृष्णगोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
146—64	47 48 49	1:21 0.90 0.56	चाही 3 जाव 3 बारानी 3 बारानी 3
	कुल किता 3	कुल रकबा 2.67 हैक्टर	
144—38	42 44 / 1610	0.14 0.06	बारानी 3 चाही 3 जाव 3
	कुल किता 2	कुल रकबा 0.20 हैक्टर	

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिस पर आस पडोसियों द्वारा सीमा को लेकर आये दिन वाद विवाद करते रहते है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी होने से पडौसी खातेदारों से सीमांकन को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही रहेगा। प्रार्थीगण द्वारा प्रतिवादी के कार्यालय में उक्त आराजी की स्थायी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने श्रीमान उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आदेश लाने के लिए कहा। प्रार्थीगण की आराजीयात की

अधिकारी
कड़ी (अजमेर)

रगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन गया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प कालेडा गोपाल में उपस्थित। अप्रार्थी पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी को सुना जाकर जवाब तलब गया। पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार नापत्र में वर्णित आरांजीयात खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया। पक्षकारान को सुना जाकर उनकी बहस पर मनन किया। गण, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की दारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी र्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम कालेडा गोपाल तहसील केकडी के खाता संख्या 146--64 में दर्ज खसरा संख्या 47, 48, 49 कुल किता 3 कुल 2.67 हैक्टर, खाता संख्या 144–38 में दर्ज खसरा नम्बर 42, 44/1610 किता 2 कुल रकबा 0.20 र, की पत्थरगढी प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। आदेश आज मेरे द्वारा पृथक से लिखाया जाकर न गांवो के संग अभियान केम्प कालेड कृष्णगोपाल में मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी